न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
पीठासीन अधिकारी– रनवीर सिंह (उच्चतर न्यायिक सेवा)
जे0ओ0 कोड–यू0पी0 6459

UPHM010000782009

विशेष वाद संख्या–52/2009

राज्य बनाम

1. **चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र** पुत्र गोविन्द दास लोधी
2. **बालादीन** पुत्र हरचटियां काछी
3. **दीनदयाल** पुत्र पुतरा ढीमर
4. **पूरन** पुत्र अयोध्या अहिरवार

निवासीगण ग्राम टोला रावत, थाना–मझगवां, जिला हमीरपुर, उ0प्र0।

.....अभियुक्तगण

मु0अ0सं0–151/2007
धारा–323/34, 324/34, 325/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट।
थाना–मझगवां, जिला हमीरपुर।

अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता	– श्री विजय सिंह, विशेष लोक अभियोजक (फौज0)
अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल के विद्वान अधिवक्त	– निशेंद्र सिंह एड0
अभियुक्त पूरन के विद्वान अधिवक्ता	– श्री सौरभ मिश्रा (एड0)

निर्णय

विशेष वाद थाना मझगवां, जनपद हमीरपुर की पुलिस द्वारा अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–452, 325, 324, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट तथा अभियुक्त पूरन के विरूद्ध धारा–452, 325, 324, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0–24/2007 प्रेषित किये जाने के आधार पर संस्थित हुआ। तत्पश्चात् इस न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल का विचारण अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में तथा अभियुक्त पूरन का विचारण अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 के अपराध के लिए किया गया।

वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा लोधी, निवासी ग्राम टोला रावत, थाना मझगवां जिला हमीरपुर द्वारा थाना मझगवां में इस आशय का तहरीरी प्रार्थनापत्र प्रदर्श क–1 प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 10.05.2007 को वह अपने घर से राजेन्द्र महाराज

Digitally signed by Ranveer Singh
Date: 2026.03.19 12:59:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

के घर जा रहा था। जैसे ही वह बालादीन पुत्र आनन्दी अहिरवार के दरवाजे समय करीब 04:30 सायं पहुंचा तो वहीं आसपास बैठे गांव के ही चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र गोविन्ददास लोधी, बालादीन पुत्र हरचटिया काछी, दीनदयाल पुत्र पुतरा ढीमर व पूरन पुत्र अयोध्या चमार अपने हाथों में लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर आ गए और एकाएक उसे गाली–गलौज करते हुए लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी से मारपीट करने लगे, मारपीट करते समय कह रहे थे मारो साले को यह राजेन्द्र महाराज के यहां बहुत बैठता है। वह चिल्लाया तो गांव के बृजगोपाल पुत्र कालीचरन पण्डित व शिवशंकर पुत्र राजेन्द्र कुमार पण्डित आ गए और मुल्जिमान को ललकारा और बचाया तो वह जान बचाकर अपने घर भाग गया तो मुल्जिमान भी उसके दरवाजे तक आए और उसके दरवाजे पर गाली–गलौज की, इसके बाद चारों मुल्जिमान मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन पुत्र तुलाराम चमार अपने दरवाजे पर खड़े थे तो चारों मुल्जिमान उनको देखकर कहने लगे कि साले चमार राजेन्द्र महाराज के यहां जाता है। इन चमारों को भी मारों और चारों मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन चमार को लाठी–डण्डों से मारपीट किए, वे लोग चिल्लाए तो गांव के गवाह बापू पुत्र हरिराम लोधी व मुन्ना लोधी आ गए मुल्जिमान को ललकारा, मंगल सिंह अपनी जान बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गया तो मुल्जिमान भी उसके घर के अन्दर घुस गए और वहां भी उसको मारापीटा इसके बाद चारों मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर यह कहते हुये चले गये कि सालो अब राजेंद्र महाराज के यहां गये तो फिर देखेगें, जाते समय मुल्जिमान चुल्ला उर्फ हरिश्चंद्र ने लिये हुये तमंचे से दो हवाई फायर भी भय फैलाने के लिये किये। गांव के राजेंद्र महाराज व भगत लोधी में प्रधानी चुनाव को लेकर पार्टीबंदी है, वह लोग राजेंद्र महाराज की पार्टी में हैं और मुल्जिमान भगत के आदमी है। मुल्जिमान ने भगत पुत्र मुल्लू व उसके पिता मुल्लू पुत्र खूबचंद के इशारे पर उन लोगों को अकारण ही मारा–पीटा है। उन लोगों के शरीर में काफी चोट आयी है। उपरोक्त के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया।

वादी मुकदमा रमेश की ओर से थाना स्थानीय पर प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.05.2007 के आधार पर दिनांक 10.05.2007 को समय 19:00 बजे अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल, पूरन, भगत व मुल्लू के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–151/2007, अन्तर्गत धारा–452, 323, 324, 504, 506, 120बी भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मझगवां जिला हमीरपुर पंजीकृत की गयी तथा जिसका उल्लेख जी0डी0 संख्या–20 दिनांक 10.05.2007 को समय करीब 19:00 बजे किया गया।

विवेचक द्वारा मामले की विवेचना ग्रहण करके साक्षीगण के बयान अंकित करने व अन्य प्रपत्र संकलित करने के उपरांत विवेचना की कार्यवाही पूर्ण कर पर्याप्त

साक्ष्य पाते हुए अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन काछी व दीनदयाल के विरूद्ध मु0अ0सं0–151/2007, अन्तर्गत धारा–452, 324, 325, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, तथा अभियुक्त पूरन चमार के विरूद्ध अन्तर्गत धारा–452, 324, 325, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना मझगवां के अन्तर्गत आरोप पत्र सं0–24/2007 न्यायालय में प्रेषित किया गया जिस पर विचारण न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

दाण्डिक वाद सं0–301/2007 मु0अ0सं0–151/2007 राज्य बनाम चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र व 03 अन्य, अन्तर्गत धारा–452, 325 324, 323, 504, 506 भा0दं0सं व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मझगवां जिला हमीरपुर की पत्रावली विद्वान अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हमीरपुर द्वारा अभियुक्तगण को नियमानुसार अन्तर्गत धारा 207 द0प्र0सं0 के तहत नकलें प्रदान कर सुपुर्दगी आदेश दिनांकित 30.03.2009 द्वारा सत्र न्यायालय के सुपुर्द की गयी जो कि विशेष वाद सं0–52/2009 राज्य बनाम चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र व 03 अन्य के रूप में दर्ज की गयी।

उपरोक्त मामले में न्यायालय द्वारा दिनांक 04.06.2009 को अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–452, 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट तथा अभियुक्त पूरन के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–452, 323/34, 324/34, 325/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण उपरोक्त को पढ़कर सुनाये व समझाये गये परन्तु अभियुक्तगण ने अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों को इन्कार करते हुये विचारण की याचना की।

अभियोजन द्वारा अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित अभियोजन साक्षीगण प्रस्तुत किये गये है जिनके द्वारा विभिन्न अभियोजन प्रपत्र को साबित किया गया है–

क0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी की प्रकृति	अभियोजन प्रपत्र	प्रदर्श
1	पी0डब्लू0–1 रमेश लोधी	वादी मुकदमा	प्रार्थनापत्र दिनांकित 10.05.2007	प्रदर्श क–1
2	पी0डब्लू0–2 स्वामीदीन	चुटहिल साक्षी	–	–
3	पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिनेशचन्द्र तिवारी	मेडिकल कर्ता	इंजरी रिपोर्ट चुटहिल रमेश दि0 10.05.2007	प्रदर्श क–2
			इंजरी रिपोर्ट चुटहिल मंगल सिंह दि0 10.05.2007	प्रदर्श क–3
			इंजरी रिपोर्ट चुटहिल रमेश दि0 11.05.2007	प्रदर्श क–4

4	पी0डब्लू0–4 महेश मिश्रा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राठ	विवेचक	नक्शा नजरी	प्रदर्श क–5
			आरोप पत्र सं0–27/2007	प्रदर्श क–6
5	पी0डब्लू0–5 हे0मु0 हरिनारायण	चिक लेखक	चिक एफ0आई0आर0 दिनांक 10.05.2007	प्रदर्श क–7
			कायमी जी0डी0 सं0–20 दिनांक 10.05.2007	प्रदर्श क–8
6	पी0डब्लू0–6 डॉ0 महेशचन्द्र मित्तल	एक्सरे कर्ता (रेडियोलॉजिस्ट)	एक्सरे रिपोर्ट दिनांक 11.05.2007	प्रदर्श क–9
7	पी0डब्लू0–7 मंगल सिंह	चुटहिल साक्षी	–	–

अभियोजन की ओर से उपरोक्त साक्षीगण के अलावा अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः अभियोजन का साक्ष्य समाप्त किया गया है।

अभियोजन साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात् अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन के बयान अन्तर्गत धारा–313 द०प्र०सं० दिनांक 04.11.2025 को अंकित किये गये। अभियुक्तगण ने अपने बयान अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में अभियोजन कथानक को गलत बताते हुए साक्षीगण द्वारा झूठे व गलत बयान देने व पार्टीबन्दी व प्रधानी रंजिश के कारण झूठा मुकदमा चलाये जाने का कथन करते हुए स्वयं को निर्दोष बताया है तथा सफाई साक्ष्य देने का कथन किया गया है। तत्पश्चात् उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 05.12.2025 को कोई सफाई साक्ष्य न देने का का पृष्ठांकन आदेश पत्रक में अंकित किया गया।

मैंने विद्वान विशेष लोक अभियोजक (दाण्डिक) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तार से सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया गया।

निष्कर्ष

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन पर आरोप है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को

सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित किया गया?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम ओमपाल एवं अन्य ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 2072, छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 3604, बलीराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 2017 (3) क्राइम्स 393 एस0सी0** एवं **ऋषि केश सिंह व अन्य बनाम स्टेट, ए0आई0आर0 1970 इलाहाबाद 51** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन साक्षीगण द्वारा उपरोक्त घटना को अपने साक्ष्य से पूर्णतया साबित किया है तथा चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन कथानक का समर्थन करती हैं, जिससे अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्धगण करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष है। अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उसे झूठे मुकदमे में पार्टीबन्दी की रंजिश में फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–7 के बयानों में गंभीर विरोधाभास है। अतः अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक दशा में अभियोजन को अपने मामले को विश्वसनीय साक्ष्य के द्वारा युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना चाहिये। अभियोजन अभियुक्तगण की किसी कमजोरी का लाभ नहीं ले सकता है। अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप को सिद्ध करने के लिये अभियोजन का यह दायित्व है कि वह अपनी साक्ष्य के द्वारा मामले को युक्तियुक्त रूप से संदेह के परे साबित करे।

धारा 3, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत कोई तथ्य तब साबित माना जायेगा जब न्यायालय अपने साक्ष्य के विषयों पर विचार करने के बाद या तो यह विश्वास करे कि उस तथ्य का अस्तित्व है या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व है। जब न्यायालय अपने समक्ष विषयो

पर विचार करने के पश्चात या तो यह विश्वास करे कि उसका अस्तित्व नहीं है, या उसके अस्तित्व को इतना अधिसम्भाव्य समझे कि उस विशिष्ट मामले की परिस्थितियों में किसी प्रज्ञावान व्यक्ति को इस अनुमान पर कार्य करना चाहिये कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है जब कोई साक्ष्य न्यायालय के समक्ष आती है और उसका विधिक परीक्षण किया जाता है तो वह एक विधिक प्रमाण का रूप ले लेती है।

लार्ड डेनिग ने वाटर बनाम वाटर (1950) के मामले में यह मत व्यक्त किया है कि कोई संदेह जो अभियुक्त के द्वारा उठाया गया है वह एक युक्तियुक्त संदेह होना चाहिये और संदेह के मामलो में जो मानक अपनाया जाना चाहिये, वह ऐसा मानक होना चाहिये जो कि एक प्रज्ञावान व्यक्ति अपना सकता है, संदेह काल्पनिक नहीं होना चाहिये।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **रमेश हरिजन बनाम उ0प्र0 राज्य (2012)5 एस0सी0सी 777** और **एच0पी0 एडमिनिस्ट्रेशन बनाम ओमप्रकाश, ए0आई0आर0 1972, सुप्रीम कोर्ट 1995** के मामले में संदेह की बाबत मत व्यक्त किया गया है कि संदेह युक्तियुक्त होना चाहिये।

इस मामले में जो साक्ष्य अभियोजन की ओर से जो साक्ष्य पेश किया गया है, उसकी विवेचना किये जाने से पूर्व भारतीय दण्ड संहिता की धारा–452, 324, 323, 34, 504, भा0दं0सं0 व धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट का उल्लेख किया जाना न्यायोचित होगा।

धारा 452 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई किसी व्यक्ति को उपहति कारित करने की, या किसी व्यक्ति पर हमला करने की, या किसी व्यक्ति पर सदोष अवरोध करने की, अथवा किसी व्यक्ति को उपहति के, या हमले के, या सदोष अवरोध के भय में डालने की तैयार करके गृह–अतिचार करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो भी व्यक्ति, धारा 334 में दिए गए मामलों के सिवा, जानबूझकर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुॅचाता है, उसे किसी एक अवधि के लिए कारावास, जिसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रूपए तक का जुर्माना, या दोनों से दण्डित किया जा सकता है।

धारा 324 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा–334 में उपबन्ध है, जो कोई असन, वेधन या काटने के किसी उपकरण द्वारा या किसी ऐसे उपकरण द्वारा जो यदि आक्रामण आयुध के तौर पर उपयोग में लाया जाए तो उससे मृत्यु कारित होना सम्भाव्य है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा या किसी विस्फोटक

पदार्थ द्वारा या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा, जिसका श्वास में जाना या निगलना या रक्त में पहुंचना मानव–शरीर के लिये हानिकारक है, या किसी जीव–जन्तु द्वारा स्वेच्छया उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से दण्डित किया जाएगा।

धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– उस दशा के सिवाय, जिसके लिये धारा 335 में उपबन्ध हे, जो कोई स्वेच्छया घोर उपहति कारित करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जायेगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

धारा 34 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार – जो कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए किया जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों में से प्रत्येक उस कार्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा, मानो वह कार्य अकेले उसके द्वारा किया गया हो।

धारा 504 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जाने हुए प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शांति या कोई अन्य अपराध कारित करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डित किया जायेगा।

धारा 506 भारतीय दण्ड संहिता के अनुसार– जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा–3(1)10 के अनुसार– कोई भी व्यक्ति, सार्वजनिक जगह पर अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के साथ अपमानित करना या धमकाना अपराध है। वह ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दण्ड संहिता के अधीन यथा विनिर्दिष्ट दण्ड से दण्डनीय होगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य एवं साक्ष्य के आधार पर उक्त मामले के निस्तारण हेतु निम्न विचारणीय बिन्दु हैं जिन पर प्रस्तुत अभियोजन एवं बचाव साक्ष्य का विश्लेषण करते हुए निष्कर्ष निकाला जाना है :–

1– क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ाकर दर्ज करायी गयी है और विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ?

2– क्या अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला

हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित किया गया?

<u>निस्तारण निर्णायक बिन्दु सं0 1</u>

निर्णायक बिन्दु सं0–1 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंब से सोच विचार कर एवं बढ़ा चढ़ाकर दर्ज करायी गयी है और विलंब का कोई उचित स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है जिसके कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है ?**

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना दिनांक 10.05.2007 को शाम 04:30 बजे की होने का कथन गया है, जबकि मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2007 को समय 19:00 बजे पर अर्थात् घटना के लगभग ढाई घण्टे विलंब से दर्ज करायी गयी है, जबकि घटनास्थल से थाने की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। इस संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण भी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है जिस कारण मामला संदेहास्पद होने के कारण संदेह का लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया है कि उपरोक्त घटना के बाद वादी मुकदमा द्वारा हरीशंकर से दरख्वास्त लिखाकर तथा मंगल व स्वामीदीन को साथ ले जाकर थाना मझगवां में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत कराया था। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने में कोई विलंब कारित नहीं किया है जो विलंब हुआ वह हरीशंकर से तहरीर लिखाने व मंगल व स्वामदीन को साथ थाने ले जाने में लगा समय होने के कारण स्वाभाविक प्रकृति का है।

साक्षी पी0डब्लू0–1 द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि **उसने हरीशंकर से दरख्वास्त लिखाई थी, फिर दरख्वास्त को लेकर वह व मंगल तथा स्वामी थाने गये थे, फिर रिपोर्ट लिखाई थी। फिर वहां से एक सिपाही उसे डॉक्टरी कराने सरकारी अस्पताल राठ ले गया था।** पत्रावली पर संलग्न कागज सं0–5क सुनकर अपने निशानी अंगूठा की शिनाख्त करते हुए प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है। पत्रावली में दाखिल प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि मामले की प्रथम

सूचना रिपोर्ट मु0अ0सं0–151/2007, अन्तर्गत धारा–452, 324, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट, थाना मझगवां जिला हमीरपुर में दिनांक 10.05.2007 को समय 19:00 बजे अंकित की गयी है, जिसकी कायमी जी0डी0 सं0–20 दिनांक 10.05.2007 को समय 19:00 बजे अंकित की गई। प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0डी0 को साक्षी पी0डब्लू0–5 हेड मुहर्रिर हरिनारायण द्वारा अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए क्रमशः प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया गया है।

विधि व्यवस्था **ओम प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 2014 (85) ए0सी0सी0 644** में यह अवधारित किया गया है कि :

"9. …. it is settled law that mere delay in lodging the First Information Report cannot by itself be regarded as fatal to the prosecution case. True it is, the court has a duty to take notice of the delay and examine the same in the backdrop of the factual score, whether there has been any acceptable explanation offered by the prosecution and whether the same deserves acceptation being satisfactory but when delay is satisfactorily explained, no adverse inference is to be drawn. ….."

उक्त विधि व्यवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया गया है कि मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट को देरी से अंकित करने के आधार पर अभियोजन का मामला खण्डित नहीं हो जाता है। ऐसी स्थिति में न्यायालय का यह कर्तव्य है कि ऐसी देरी की मामलें के तथ्यों के प्रकाश में परीक्षा करे तथा देखें कि क्या अभियोजन की ओर से स्वीकार किए जाने योग्य कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है। यदि देरी को पर्याप्त रूप से स्पष्ट कर दिया जाता है, तब देरी के आधार पर कोई विपरीत निष्कर्ष नही निकाला जाना चाहिए।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय **रामदास बनाम महाराष्ट्र राज्य (2007) 2 एस0सी0सी0 एवं राजस्थान राज्य बनाम एन0के0 (2000) 5 एस0सी0सी0 30** में यह सिद्धांत अवधारित किया गया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट विलम्ब से लिखाया जाना अभियोजन केस को प्रभावित नहीं करता है, विलम्ब के पीछे के तथ्य एवं परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा कथित घटना दिनांक 10.05.2007 को शाम 04:30 बजे की होने तथा मामले प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 10.05.2007 को समय 19:00 पी0एम0 थाना मझगवां में अंकित कराये जाने का कथन किया है। साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा द्वारा अपने बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि उसने हरीशंकर से दरख्वास्त लिखाई थी, फिर दरख्वास्त को लेकर वह व

मंगल तथा स्वामी थाने गये थे, फिर रिपोर्ट लिखाई थी। **उक्त साक्षी द्वारा हरीशंकर से उपरोक्त घटना** की तहरीर लिखाकर उस पर अपना निशानी अंगूठा अंकित करने के उपरांत तहरीर थाने में देकर मुकदमा पंजीकृत कराने का कथन किया है। उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने में जानबूझकर कोई विलंब कारित नहीं किया गया है जो ढाई घण्टे का विलंब होना दर्शित है, वह हरीशंकर को बोल–बोलकर तहरीर लिखाने व अन्य चुटहिल मंगल सिंह व स्वामीदीन को साथ 15 किमी दूर थाने जाने में समय लगने के कारण हुआ है तथा स्वाभाविक प्रकृति का है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से प्रथम सूचना रिपोर्ट के विलंब के सबंध में पर्याप्त स्पष्टीकरण दिया है। ऐसी स्थिति में बचाव पक्ष द्वारा लिया गया उपरोक्त तर्क बलहीन हो जाता है।

निर्णायक बिन्दु सं0–1 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

<u>निस्तारण निर्णायक बिन्दु सं0–2</u>

निर्णायक बिन्दु सं0–2 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को, उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित किया गया?**

प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन पर आरोप है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति की वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित किया गया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **स्टेट ऑफ यू0पी0 बनाम ओमपाल एवं अन्य ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 2072, छाया बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ए0आई0आर0 2018 एस0सी0 3604, बलीराज सिंह बनाम स्टेट ऑफ एम0पी0 2017 (3) क्राइम्स 393 एस0सी0** एवं **ऋषि केश सिंह व अन्य बनाम स्टेट, ए0आई0आर0 1970 इलाहाबाद 51** में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि अभियोजन पक्ष को अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाए गए आरोपों को संदेह से परे साबित करना होता है। अब यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को विश्वसनीय साक्ष्य से संदेह से परे साबित करने में सफल रहा है ?

अभियोजन की ओर से तर्क दिया गया कि प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन पर आरोप है कि अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति की वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध किया है। तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 रमेश, पी0डब्लू0–2 स्वामीदीन व पी0डब्लू0–7 मंगल सिंह ने अभियोजन कथानक को अपने साक्ष्य से साबित किया है। मेडिकल रिपोर्ट भी अभियोजन कथानक का समर्थन करती है, इस प्रकार दाखिल अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अतः उपरोक्त आधारों पर अभियुक्तगण को दोषसिद्धगण करते हुए दण्डित किए जाने की याचना की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण निर्दोष हैं, उन्होंने कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, उन्हें उपरोक्त मुकदमे में पार्टीबन्दी की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 रमेश, पी0डब्लू0–2 स्वामीदीन व पी0डब्लू0–7 मंगल सिंह के बयानों में घोर विरोधाभास है। अतः अभियोजन अपने द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्ण रूप से विफल रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त किए जाने योग्य हैं।

वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा लोधी द्वारा थाना मझगवां में इस आशय का तहरीर प्रदर्श क–1 प्रस्तुत किया गया कि **दिनांक 10.05.2007 को वह अपने घर से राजेन्द्र महाराज के घर जा रहा था। जैसे ही वह बालादीन पुत्र आनन्दी अहिरवार के दरवाजे समय करीब 04:30 सायं पहुंचा तो वहीं आसपास बैठे गांव के ही चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र पुत्र गोविन्ददास लोधी, बालादीन पुत्र हरचटिया काछी, दीनदयाल पुत्र पुतरा ढीमर व पूरन पुत्र अयोध्या चमार अपने हाथों में लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर आ गए और एकाएक उसी गाली–गलौज करते हुए लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी से मारपीट करने लगे, मारपीट करते समय कह रहे थे मारो साले को यह राजेन्द्र महाराज के यहां बहुत बैठता है।** वह चिल्लाया तो गांव के बृजगोपाल पुत्र कालीचरन पण्डित व शिवशंकर पुत्र राजेन्द्र कुमार पण्डित आ गए और मुल्जिमान को ललकारा और बचाया तो **वह जान बचाकर अपने घर भाग गया तो मुल्जिमान भी उसके दरवाजे तक आए और उसके दरवाजे पर गाली–गलौज की, इसके बाद चारों मुल्जिमान मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन पुत्र तुलाराम चमार अपने दरवाजे पर खड़े थे तो चारों मुल्जिमान उनको देखकर कहने लगे कि साले चमार की राजेन्द्र महाराज के यहां जाता है। इन चमारों को भी मारो और चारों मंगल सिंह व उसके पिता स्वामी चमार को लाठी–डण्डों से मारपीट किए,** वे लोग चिल्लाए तो गांव के गवाह बापू पुत्र हरिराम लोधी व मुन्ना लोधी आ गए मुल्जिमान को ललकारा, **मंगल सिंह अपनी जान बचाकर अपने घर के अन्दर घुस गया तो मुल्जिमान भी उसके घर के अन्दर घुस गए और वहां भी उसको मारापीटा इसके बाद चारों मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देकर हुये चले गये।**

पी0डब्लू0–1 रमेश (वादी मुकदमा) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को जानता पहचानता है, यह सभी मुल्जिमान टोला रावत के रहने वाले है। चुल्ला उर्फ हरीशचन्द्र लोधी(राजपूत), बालादीन काछी जाति का व दीनदयाल ढ़ीमर जाति का है व पूरन अनुसूचित जाति का है। वह गांव के मंगल व स्वामी को जानता है वह चमार जाति के है। उसके गांव के प्रधानी के **चुनाव में हरीशंकर पुत्र राजेन्द्र महाराज व भगत पुत्र मुल्लु राजपूत चुनाव में खड़े हुए थे उसने हरीशंकर का समर्थन चुनाव में किया था व इसका प्रचार भी किया था। मंगल और स्वामी ने भी हरीशंकर का प्रचार किया था भगत चुनाव में जीता था** इसी कारण भगत का विरोध करने के कारण मंगल व स्वामी से विरोध मानता था। ढाई साल पहले की बात है **शाम लगभग 4:00 बजे का समय था वह अपने घर से राजेन्द्र महाराज के घर जा रहा था वह बालादीन चमार के दरवाजे पहुँचा तो वहाँ पर बालादीन, हरिशचन्द्र उर्फ चुल्ला व दीनदयाल और पूरन मिले, पूरन कुल्हाड़ी लिये था** और सब लोग लाठी डण्डा लिये थे यह सब लोग भगत प्रधान के आदमी थे। यह सभी लोगो उसे गाली देने लगे और कह रहे थे साले राजेन्द्र महाराज के यहाँ बहुत जाता है और डण्डा मारकर मारने

लगे तथा **लाठी डण्डों से उसे मारापीटा वह चारो लोग उसे लाठी व कुल्हाड़ी से मारने लगे उसके शोर मचाने पर शिवशंकर व बृजगोपाल आ गये इन लोगों ने उसे बचाया यह मुल्जिमान उसे मारते मारते घर तक गये थे व गाली गलौज मां बहन की कर रहे थे।** यह मुल्जिमान कुछ देर बाद गांव के मंगल व स्वामी के दरवाजे पर गये **सभी लोग चुल्ला उर्फ हरिशचन्द्र, बालादीन, पूरन व दीनदयाल मंगल व स्वामीदीन के दरवाजे पहुँचे मंगल व स्वामी अपने दरवाजे पर खड़े थे और कह रहे थे तुम बहुत राजेन्द्र महाराज के यहां जाते हो चारो मुल्जिमान मंगल व स्वामी को लाठी डण्डो से मारने लगे** इन लोगों के शोर मचाने पर ध्यानपाल उर्फ बाबू व मुन्ना भी आ गये, इन लोगों ने मुल्जिमानों को ललकारा तो मंगल अपने घर के अन्दर भागा। **तब इन चारों मुल्जिमानों ने मंगल के घर के अन्दर घुस गर मारपीट की।** मंगल के घर से निकल कर चुल्ला उर्फ हरीशचन्द्र ने दो फायर किये और कहा कि राजेन्द्र के यहां और जाओगे तो जान से मार देगें। **कुल्हाड़ी उसके सर पर बालादीन ने मारी थी और सभी मुल्जिमानों ने लाठी डण्डों से मारा था जिससे उसे शरीर में चोटें आई थी। मंगल व स्वामी के भी चोटें आई थी। सरकारी अस्पताल राठ पर उसकी डाक्टरी हुई थी। मंगल व स्वामी की भी डाक्टरी हुई थी, उसके एक्स–रे हमीरपुर में हुआ था। उन चारों मुल्जिमानों ने भगत व मुल्लु लोधी के कहने पर उन लोगों की मारपीट की थी।** इस घटना के सम्बन्ध में सी.ओ.साहब ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह कथन किया गया कि **इस चुनाव के पूर्व राजेन्द्र महाराज भगत प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़े थे व हार गये थे राजेन्द्र महाराज भगत प्रधान से बुराई मानते है दोनों में पार्टी बन्दी है।** वह राजेन्द्र महाराज की पार्टी का आदमी है। मारपीट के बाद पहले वह अपने घर आया फिर वहां दो तीन मिनट रुका फिर स्वामी व मंगल के घर की तरफ गया था। **जब वह अपने घर गया तो उसके सिर में चोट था और खून बह रहा था खून उसके कपड़ों में भी लग गया था। बहते खून को रोकने के लिए उसने गमछा सिर पर बाँध लिया उस गमछें में भी खून लग गया था।** जहाँ मारपीट हुई थी वहाँ जमीन पर खून गिर गया था। **मुल्जिमान उसकी मारपीट करने के बाद तुरन्त चार मिनट बाद मंगल के घर में घुस गये थे और उसकी मारपीट की थी।** मंगल का घर बालादीन के घर से पश्चिम दिशा में 10–15 कदम की दूरी पर है। उक्त मंगल के घर से स्वामी का घर 100 कदम की दूरी पर है। **स्वामी की मारपीट मंगल के घर के अन्दर हुई थी। मंगल व स्वामी दोनों चमार बिरादरी के है।** वह लोधी जाति का है। **बालादीन के दरवाजे के सामने जब उसकी मारपीट हो रही थी तो शिवशंकर और बृजगोपाल आ गये थे। उसके साथ मेरी मारपीट होने के पश्चात् शिवशंकर व बृजगोपाल उसके घर गये थे उसके पश्चात् उसके साथ शिवशंकर व बृजगोपाल मंगल के घर भी गये थे और वहाँ ध्यानपाल और मुन्ना मंगल के घर पर मिले**

थे। कुल्हाड़ी पूरन के हाथ में थी, बालादीन डण्डा लिये था, दीनदयाल डण्डा लिये था और चुल्ला तमन्चा लिये थे।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–1 जोकि उपरोक्त मामले का वादी मुकदमा व चुटहिल साक्षी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट कथन किया है कि घटना के कथित दिनांक को शाम लगभग 4:00 बजे जब वह अपने घर से राजेन्द्र महाराज के घर जा रहा था तब बालादीन के दरवाजे पर बालादीन, हरिशचन्द्र उर्फ चुल्ला व दीनदयाल और पूरन मिल, पूरन कुल्हाड़ी लिये थे, सभी लोगो उसे गाली देने लगे और लाठी डण्डों से उसे मारापीटा, वह चारो लोग उसे लाठी व कुल्हाड़ी से मारने लगे उसके शोर मचाने पर शिवशंकर व बृजगोपाल आ गये मुल्जिमान उसे मारते मारते घर तक गये थे व गाली गलौज मां बहन की कर रहे थे। यह मुल्जिमान कुछ देर बाद गांव के मंगल व स्वामी के दरवाजे पर गये मंगल व स्वामी अपने दरवाजे पर खड़े थे और कह रहे थे तुम बहुत राजेन्द्र महाराज के यहां जाते हो चारो मुल्जिमान मंगल व स्वामी को लाठी डण्डो से मारने लगे। इन लोगों के ललकारने पर मंगल घर के अन्दर भागा तब मुल्जिमानों ने मंगल के घर के अन्दर घुसकर मारपीट की तथा जान से मारने की धमकी दी। कुल्हाड़ी उसके सर पर बालादीन ने मारी थी और सभी मुल्जिमानों ने लाठी डण्डों से मारा था जिससे उसे शरीर में चोटें आई थी। मंगल व स्वामी के भी चोटें आई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने चारों अभियुक्तगण द्वारा उसके साथ मारपीट करने तत्पश्चात् मंगल सिंह व स्वामीदीन के साथ भी मारपीट करने के तथ्य को अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से साबित किया है।

पी0डब्लू0–2 स्वामीदीन (चुटहिल साक्षी) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अभियुक्तगण को जानता पहचानता है, सभी टोलारावत के रहने वाले है। अभियुक्त पूरन जाति का चमार है, शेष अभियुक्त अनुसूचित जाति के नहीं है वह अनुसूचित जाति चमार जाति का है। **घटना दिनांक 10.05.2007 समय करीब 5 बजे शाम की है।** वह व उसका लड़का मंगल आपस में खड़े अपने दरवाजे पर बातचीत कर रहे थे उसी समय **अभियुक्त बालादीन कुल्हाड़ी लिये शेष अभियुक्तगण लाठियां लिये उनके दरवाजे पर आये और उससे कहा भोसड़ी वाले साले चमरा तुम लोग बहुत राजेन्द्र महाराज के पास जा रहे हो, बालदीन बोला मारो साले चमरो को** तो शेष उपरोक्त अभियुक्तो ने उसे व उसके लड़के मंगल को लाठियों से मारने–पीटने लगे वह लोग चिल्लाये और **उसका लड़का मंगल घर के अन्दर घुस गया तो सभी अभियुक्त उसके घर के अन्दर घुस कर मंगल को पुनः मारने पीटने लगे और कह रहे थे साले चमरो राजेन्द्र महाराज के यहां गये तो जान से मार डालेगें** मुहल्ले के बहुत से लोग आ गये तो मुल्जिमान चले गये थे। **उनकी मारपीट घटना के पहले रमेश**

पुत्र मुकुन्दा लोधी के साथ भी घटना कारित की थी। उसकी डाक्टरी हुई थी। सी.ओ. साहब ने उसका बयान लिया था।

उपरोक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि **घटना के समय भगत गांव का प्रधान था। उसके गांव के राजेन्द्र महाराज कई बार प्रधानी का चुनाव लड़ चुके है। लेकिन राजेन्द्र महाराज कभी भी प्रधानी का चुनाव नही जीते है।** इन्ही चुनाव को लेकर मेरे गांव में कई पार्टी है। एक पार्टी भगत प्रधान की भी है और एक पार्टी राजेन्द्र महाराज की है। उन लोगों का राजेन्द्र महाराज के यहाँ आना जाना है इस कारण हमलोग राजेन्द्र महाराज की पार्टी के माने जाते है। इस मुकदमें के मुल्जिमान भगत प्रधान की पार्टी के है। **मंगल मेरा लड़का है। वह अपने दरवाजे पर खड़ा था। उस समय शाम के 5 बजे थे। बालादीन कुल्हाड़ी लिये था और सभी लाठी लिये थे। उसे कुल्हाड़ी की भून से मारा गया था। कुल्हाड़ी की भूनो की चोटें उसने मंगल को कुल्हाड़ी की चोट सर में, पीठ में, पैरों में व कन्धे में थी। उसके कपड़ों में खून लगा था।** खून लगे कपड़े उसने दरोगा जी को नही दिये थे। यह कहना गलत है कि मुझे किसी मुल्जिम ने न मारा पीटा हो न ही मुझे चोटें आयी हो और उसने झूठी चोटें बनवायी हो और झूठी रिपोर्ट की हो। यह भी कहना गलत है कि वह राजेन्द्र के कहने से झूठी गवाही दे रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–2 उपरोक्त मामले का दूसरा चुटहिल है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए यह बयान दिया गया कि घटना दिनांक 10.05.2007 समय करीब 5 बजे शाम को वह व उसका लड़का मंगल आपस में खड़े अपने दरवाजे पर बातचीत कर रहे थे उसी समय अभियुक्त बालादीन कुल्हाड़ी लिये शेष अभियुक्तगण लाठियां लिये उनके दरवाजे पर आये और उससे कहा भोसड़ी वाले साले चमरा तुम लोग बहुत राजेन्द्र महाराज के पास जा रहे हो और उसे व उसके लड़के मंगल को लाठियों से मारने–पीटने लगे वह लोग चिल्लाये और उसका लड़का मंगल घर के अन्दर घुस गया तो सभी अभियुक्त उसके घर के अन्दर घुस कर मंगल को पुनः मारने पीटने लगे और कह रहे थे साले चमरो राजेन्द्र महाराज के यहां गये तो जान से मार डालेगें। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी कहा गया कि उनकी मारपीट घटना के पहले रमेश पुत्र मुकुन्दा लोधी के साथ भी घटना कारित की थी। इसी प्रकार अपनी प्रतिपरीक्षा में भी उक्त साक्षी द्वारा यह बयान दिया गया कि मंगल मेरा लड़का है। वह अपने दरवाजे पर खड़ा था। उस समय शाम के 5 बजे थे। बालादीन कुल्हाड़ी लिये था और सभी लाठी लिये थे। उसे कुल्हाड़ी की भून से मारा गया था। कुल्हाड़ी की भूनो की चोटें उसने मंगल को कुल्हाड़ी की चोट सर में, पीठ में, पैरों में व कन्धे में थी। उसके कपड़ों में खून लगा था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने

अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में दिये गये ठोस एवं विश्सनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

पी0डब्लू0–07 मंगल सिंह (चुटहिल साक्षी) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह अभियुक्तगण जानता पहचानता है, अभियुक्तगण उसके ही गांव के रहने वाले हैं, वह पढा लिखा नहीं है केवल अपने हस्ताक्षर बना लेता है, इसलिये वह घटना की तारीख नहीं बता सकता है। घटना आज से लगभग अठारह वर्ष से अधिक समय के पहले की है, **समय करीब शाम का पांच बजा था, वह व उसके पिताजी स्वामीदीन उर्फ स्वामी अपने दरवाजे पर खड़े बातचीत कर रहे थे।** तभी **अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिशचन्द्र, बालादीन, पूरन व दीनदयाल आये जिसमें बालादीन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिये थे तथा शेष अभियुक्तगण चुल्ला हरिशचन्द्र, पूरन, दीनदयाल अपने–अपने हाथों में लाठी लिये थे और उन लोगों को देखकर गाली–गलौज करते हुये बोले कि साले चमरा तुम लोग राजेंद्र महाराज के यहां बहुत बैठते हो इन्हीं को मारो तब उसने व उसके पिताजी ने गाली देने से मना किया तो उपरोक्त चारों अभियुक्तगण उसे व उसके पिताजी को लाठियों व कुल्हाड़ियों से मारने पीटने लगे तब वह दोनों लोग चिल्लाये और वह जान बचाकर अपने घर के अंदर चला गया। उपरोक्त मुल्जिमान उसके घर के अंदर आंगन में आकर उसे दोबारा मारने पीटने लगे तब वह चिल्लाया तो मुल्जिमान धमकी देते हुये घर से बाहर चले गये।** शोर–शराबा सुनकर अगल–बगल मुहल्ले के लोग आ गये तब मुल्जिमान वहां से चले गये और **मारपीट में उसे व उसके पिताजी को शरीर में चोटें आयीं थीं। बाद में पता चला कि अभियुक्तगण ने गांव के रमेश पुत्र मकुंदा लोधी को गांव के बालादीन चमार के दरवाजे पर मारपीट की।** घटना की रिपोर्ट रमेश पुत्र मुकंदा लोधी ने थाना मझगंवा में दर्ज करायी थी, पुलिस ने उसके व उसके पिताजी व रमेश की चोटों का डाक्टरी मुआयना सरकारी अस्पताल राठ में कराया था। इस घटना के संबंध में सीओ साहब ने उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि **घटना के समय प्रधान भगत सिंह था। भगत प्रधान के खिलाफ राजेंद्र महाराज का लडका हरिशंकर चुनाव लड़ता है। राजेंद्र व भगत के बीच चुनावी रंजिश है।** इस मुकदमे की तहरीर हरिशंकर ने लिखी थी। हरिशंकर राजेंद्र महाराज का पुत्र है। भगत प्रधान मारपीट में नहीं थे, मुल्जिमान भगत प्रधान के आदमी हैं और मुल्जिमान भगत प्रधान से बीस मीटर दूरी पर थे और कह रहे थे कि मारो चमरों को। **उसके खोपड़े में कुल्हाड़ी मारी और लाठियां मारीं और उसके घर के अंदर भी घुसकर मारा था। उसे पुलिस डाक्टर के यहां राठ ले गयी थी। उसके** हाथ पर फ्रैक्चर हुआ था और हाथ का एक्सरे हमीरपुर में हुआ था। यह कहना गलत है कि मुल्जिमान ने उसके साथ कोई मारपीट न की हो।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–7 जोकि उपरोक्त घटना का अन्य चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट बयान दिया गया कि समय करीब शाम का पांच बजे वह व उसके पिताजी स्वामीदीन उर्फ स्वामी अपने दरवाजे पर खड़े थे, तभी बालादीन अपने हाथ में कुल्हाड़ी लिये तथा शेष अभियुक्तगण चुल्ला हरिशचन्द्र, पूरन, दीनदयाल अपने–अपने हाथों में लाठी लिये हुये आये और गाली–गलौज करते हुये उसे व उसके पिताजी को लाठियों व कुल्हाड़ियों से मारने पीटने लगे जब वह जान बचाकर अपने घर के अंदर चला गया तो उपरोक्त मुल्जिमान उसके घर के अंदर आंगन में आकर उसे दोबारा मारने पीटने लगे। मारपीट में उसे व उसके पिताजी को शरीर में चोटें आयीं थीं। उक्त साक्षी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में यह भी बयान दिया गया कि बाद में पता चला कि अभियुक्तगण ने गांव के रमेश पुत्र मकुंदा लोधी को गांव के बालादीन चमार के दरवाजे पर मारपीट की। उक्त साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में भी अभियोजन कथानक का समर्थन करते हुए स्पष्ट बयान दिया हे कि मुल्जिमान भगत प्रधान के आदमी हैं और मुल्जिमान कह रहे थे कि मारो चमरों को। उसके खोपड़े में कुल्हाड़ी मारी और लाठियां मारीं और उसके घर के अंदर भी घुसकर मारा था। उसे पुलिस डाक्टर के यहां राठ ले गयी थी। उसके हाथ पर फ्रैक्चर हुआ था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है, जिससे उपरोक्त घटना की पुष्टि होती है।

पी0डब्लू0–3 डॉ0 दिनेशचन्द्र तिवारी (मेडिकल कर्ता) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 10.05.2007 को सी.एच.सी. राठ में चिकित्साधिकारी के पद पर तैनात था उस दिनांक को उसने **मजरूब रमेश लोधी** पुत्र मुकुन्दा लोधी निवासी टोला रावत थाना मझंगवा जिला हमीरपुर उम्र लगभग 35 वर्ष का चिकित्सीय परीक्षण समय 11 पी.एम. पर किया था। मजरूब को उसके समक्ष का० 468 महेश चन्द्र थाना मंझगवा लेकर आया था एवं उनकी पहचान की थी उसने मजरूब के निम्नलिखित चोटें पायी थी–

चोट नं०–1 कटा हुआ घाव 2 X 2 X 3.5 सेमी खोपड़ी में दाहिनी ओर दाहिने कान से 6 सेमी ऊपर घाव के किनारे समतल एवं स्पष्ट रुप से कटे हुए थे घाव में कटे हुए बाल मौजूद थे और घाव से ताजा रक्त स्त्राव हो रहा था। घाव हड्डी तक गहरा था।

चोट नं०–2 कटा हुआ घाव 2 X 0.5 सेमी खोपड़ी में पीछे की ओर दाहिनी ओर दाहिने कान से 7 सेमी ऊपर पीछे की ओर घाव के किनारे स्पष्ट रुप से कटे हुए थे। घव में कटे हुए बाल मौजूद थे एंव ताजा रक्त स्त्राव हो रहा था। घाव हड्डी तक गहरा था।

चोट न०–3 कटा हुआ घाव 4 X 1 X 2 सेमी X हड्डी की गहराई तक बाये पैर में सामने की ओर पायें पंजे के जोड़ से 12 सेमी ऊपर घाव से ताजा रक्त स्त्राव हो रहा था।

चोट नं०–4 नीलगू सूजन 8 X 5 सेमी बायें पंजे के जोड में बाहर की ओर चोट का रंग लाल था।

राय– उसकी राय में चोट नं०–1 व 2 किसी धारदार हथियार से पहुंचायी गयी होगी। बाकी चोटें किसी सख्त व कुन्दालय वस्तु से आना सम्भव है। जिनको निगरानी में रखा गया एंव एक्सरे की सलाह दी गयी। पत्रावली में सलग्न कागज सं० 8क/1 इंजरी रिपोर्ट को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया।

उक्त दिनांक को ही उसने **मजरूब मंगल सिंह अहिरवार** पुत्र स्वामीदीन उम्र लगभग 34 वर्ष निवासी टोला रावत थाना मझंगवा का चिकित्सीय परीक्षण समय 11:30 पी.एम पर किया था। मजरूब के निम्न लिखित चोटें पायी गयी थी –

चोट नं०–1 फटा हुआ घाव 3 X 1 सेमी X खोपड़ी की मांसपेशी की गहराई तक खोपड़ी के अग्र भाग में नाक की जड़ से 10 सेमी ऊपर घाव से रक्त स्त्राव हो रहा था।

चोट नं०–2 नीलगू सूजन 10 X 8 सेमी बायें घुटने में सामने की ओर चोट का रंग लाल था।

चोट नं०–3 नीलगू निशान 4 X 2 सेमी दाहिने हाथ में पीछे एंव बगल की ओर चोट का रंग लाल था।

चोट नं०–4 नीलगू निशान 3 X 2 सेमी दाहिने हथेली के पृष्ठ भाग पर चोट का रंग लाल था।

राय– उसकी राय में **सभी चोटें सख्त एंव कुन्दालय वस्तु** के द्वारा पहुचायी गयी **थी सभी चोटें ताजी एंव साधारण थी** केवल चोट नं०–2 को निगरानी में रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी। कागज सं०–8क/2 इन्जरी रिपोर्ट में पहचान चिन्ह अंकित कर निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था इन्जरी रिपोर्ट 8क/2 को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया।

दिनांक 11.05.2007 को ही उसने **मजरूब स्वामी** पुत्र तुलाराम उम्र लगभग 58वर्ष निवासी टोलारावत थाना मझंगवा जिला हमीरपुर का समय 12:15 ए.एम. पर चिकित्सीय परीक्षण किया था। मजरूब के निम्नलिखित चोटें पायी थी–

चोट नं०–1 नीलगू निशान 4 X 3 सेमी बायें कन्धे पर चोट का रंग लाल था।

चोट नं०–2 नीलगू निशान 11 X 2 X 2 सेमी पीठ पर बांयी ओर चोट का रंग लाल था।

राय– उसकी राय में **सभी चोटें सख्त एंव कुन्दालय वस्तु से पहुँचायी गयी थी। सभी चोटें ताजी एंव साधारण प्रकृति की थी।** उसने इन्जरी रिपोर्ट में मजरुब का पहचान चिन्ह अंकित कर निशानी अंगूठा लगवाकर प्रमाणित किया था। इंजरी रिपोर्ट कागज सं०–8क/3 को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया। **उपरोक्त चोटें दिनांक 10.05.2007 को समय करीब साढ़े चार बजे सायं कुल्हाड़ी व लाठी, डण्डो से पहुंचायी जाए तो मजरूब को चोटें आना संभव है।**

इसी प्रकार उक्त साक्षी पी0डब्लू0–3 चिकित्सक हैं, जिनके द्वारा उपरोक्त मजरूबों का चिकित्सीय परीक्षण किया गया है, उक्त साक्षी ने अपने बयानों में चुटहिल रमेश लोधी के शरीर पर कुल 04 चोटें, जिसमें से चोट नं०–1 व 2 किसी धारदार हथियार से पहुंचायी जाने तथा बाकी चोटें किसी सख्त व कुन्दालय वस्तु से आना सम्भव होना बताया है। इसी प्रकार मंगल सिंह अहिरवार के शरीर पर कुल 04 चोटें होना बताया है तथा सभी चोटें सख्त एंव कुन्दालय वस्तु के द्वारा पहुचायी जाने तथा सभी चोटें ताजी एवं साधारण होने का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार चुटहिल स्वामी के शरीर पर कुल 02 चोटें होने का कथन किया है, सभी चोटें सख्त एंव कुन्दालय वस्तु से पहुँचायी जाने तथा सभी चोटें ताजी एंव साधारण प्रकृति की होना बताया है। उपरोक्त मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट को साक्षी द्वारा क्रमशः प्रदर्श क–2, प्रदर्श क–3 व प्रदर्श क–4 के रूप में साबित किया है। उक्त साक्षी उपरोक्त चुटहिलों का मेडिकल परीक्षण किये जाने का साक्षी है तथा उक्त साक्षी के बयानों के अनुसार चुटहिल को आयी कथित चोटें अभियोजन साक्षी/चुटहिलों पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–7 के द्वारा बतायी गयी चोटें के अनुरूप होने के कारण भी अभियोजन कथानक का समर्थन करता हैं। अतः उक्त साक्षी का बयान विश्वसनीय प्रतीत होता है तथा घटना का समर्थन करता है।

पी0डब्लू0–6 डॉ0 महेश चन्द्र मित्तल (एक्सरे कर्ता) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 11.05.2007 को जिला चिकित्सालय हमीरपुर में वरिष्ठ रेडियोलाजिस्ट के पद पर तैनात था। उस दिन उसने **चुटहिल मंगल सिंह** पुत्र स्वामीदीन उम्र 34 वर्ष निवासी टोलारावत थाना मंझगवां जिला हमीरपुर के बाएं घुटने का एक्सरे अपनी देखरेख में कराया था इस **एक्सरे में बाएं घुटने की पटेला हड्डी का फ्रेक्चर पाया गया था।** रिपोर्ट उसने अपने लेख व हस्ताक्षर में तैयार की थी। पत्रावली में संलग्न कागज संख्या–11क/1 एक्सरे रिपोर्ट साक्षी ने जरिये वीसी देखकर स्वयं द्वारा तैयार किये जाने तथा अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–9 के रूप में साबित किया तथा एक्सरे प्लेट संख्या–1281 को साक्षी ने

चुटहिल मंगल सिंह की एक्स–रे प्लेट होने का कथन करते हुए वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया। उसी दिन **चुटहिल रमेश लोधी** पुत्र मुकुंदा लोधी उम्र 30 वर्ष निवासी टोलारावत थाना मंझगवां जिला हमीरपुर की संदर्भित चोट का एक्सरे किया था, जिसमें कोई फ्रेक्चर नहीं पाया गया था, एक्सरे रिपोर्ट में उसके लेख व हस्ताक्षर हैं जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 11क/2 है। साक्षी ने कहा कि यह एक्सरे रिपोर्ट अपने लेख व हस्ताक्षर में होने का कथन करते हुए पत्रावली में संलग्न एक्सरे प्लेट नं० 1282 व 1283 है। चुटहिल मंगल सिंह को एक्सरे हेतु सी0एच0सी0 राठ के इंजरी रिपोर्ट तैयारकर्ता डाक्टर के द्वारा रेफर किया गया था जिनको कांस्टेबिल 468 महेश चंद्र थाना मंझगवां द्वारा लाया गया था। चुटहिल का पहचान चिन्ह दाएं कंधे पर तिल का निशान अंकित किया था।

इस प्रकार उक्त साक्षी पी0डब्लू0–6 जिनके द्वारा चुटहिल मंगल सिंह व रमेश लोधी का एक्सरे किया गया है, के द्वारा अपने बयानों में दिनांक 11.05.2007 को चुटहिल मंगल सिंह के बाएं घुटने का एक्सरे अपनी देखरेख में किया जाना तथा चुटहिल मंगल के एक्सरे में बाएं घुटने की पटेला हड्डी में फ्रेक्चर पाये जाने का स्पष्ट कथन किया है तथा साक्षी द्वारा एक्सरें रिपोर्ट को प्रदर्श क–9 के रूप में तथा एक्सरे प्लेट–1281 को वस्तु प्रदर्श–1 के रूप में साबित किया गया है। उक्त दिनांक को ही चुटहिल रमेश लोधी का एक्सरे किये जाने का कथन किया है। इस प्रकार उक्त साक्षी के अनुसार चुटहिल मंगल सिंह का एक्सरे दिनांक 11.05.2007 को अर्थात घटना दिनांक 10.05.2007 के अगले दिन किया गया है तथा चुटहिल मंगल सिंह के बाएं पैर में फ्रेक्चर पाया गया है, जोकि चुटहिल पी0डब्लू0–7 के उपरोक्त घटना के दौरान आयी चोटें का समर्थन करती है। इस प्रकार उपरोक्त साक्षी का बयानों से अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

पत्रावली में संलग्न चुटहिल रमेश लोधी की चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं0–8क/1 प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल रमेश लोधी के शरीर पर कुल 04 चोटें होने का उल्लेख किया गया है, जोकि निम्नवत् हैं –

1- Incised wound 2.5 cm x 0.5 cm on the Rt. side of skull 6cm above from the Rt. ear Margin of the wound are even and clean cut, hair are present in the wound. Fresh bleeding present and wound is bone deep.
2- Incise wound 2 cm x 0.5 cm in the post aspect of skull on the Rt. side 7 cm post from the right air margin even and clean cut, cut hair are present wound in the fresh bleeding present and wound is bone deep.
3- lacerated wound 4 cm x 1.5 cm x bone deep on the front of right leg 7 cm above from the left ankle joint, fresh bleeding present.

4- Contused swelling 8 cm x 5 cm on the aspect of the left ankle choice, colour is red.

Opinion- **Injury no-1 and 2 are caused by sharp edged weapon while rest of all injuries are caused by hard and blunt object,** duration is fresh and nature is K.U.O and advised for X-ray of skull and left ankle joint c left leg in district hospital Hamirpur

इसी प्रकार चुटहिल मंगल सिंह की चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं0–8क/2 प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल मंगल सिंह के शरीर पर कुल 04 चोटें होने का उल्लेख किया गया है, जोकि निम्नवत् हैं –

1- Lacerated wound 3 cm x 1 cm x scalp deep on the post aspect of skull 10 cm above from the roof of nose fresh bleeding present.

2- Contused swelling 10 cm x 8 cm on the front of Lt. knee Jt.

3- Contusion 4 cm x 2 cm on the posterio lateral aspect of Rt. forarm colour is red.

4- Conusion 3 cm x 2 cm on the doresum of Rt. hand colour is red.

Opinion- **All above injuries are caused by hard and blunt object, duration is fresh and nature is simple** except injury no 2 which is K.U.O and advised for X-ray in district hospital Hamirpur.

चुटहिल स्वामीदीन की चिकित्सीय परीक्षण आख्या कागज सं0–8क/3 प्रदर्श क–2 के अवलोकन से स्पष्ट है कि चुटहिल स्वामी के शरीर पर कुल 02 चोटें होने का उल्लेख किया गया है, जोकि निम्नवत् हैं –

1- Contusion 4 cm x 3 cm on the Lt. shoulder, colour is red.

2- Contusion 11 cm x 2.5 cm on the post aspect of Lt. side of chest, colour is red.

Opinion- **All above injuries are caused by hard and blunt object, duration is fresh and nature is simple.**

इस प्रकार उपरोक्त मेडिकल रिपोर्ट चुटहिल रमेश लोधी प्रदर्श क–2 के अनुसार को चुटहिल रमेश को आयी कुल 04 चोटों में से चोट सं0–1 व 2 किसी धारदार हथियार से पहुंचाये जाने का उल्लेख किया है जबकि शेष अन्य चोटें किसी ठोस कुण्दालय वस्तु से आना बताया है। मेडिकल रिपोर्ट मंगल सिंह प्रदर्श क–3 के अनुसार मंगल के शरीर पर कुल 04 चोटें होना तथा सभी चोटें किसी ठोस कुण्दालय वस्तु से पहुंचाये जाने का उल्लेख है। मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–4 के अनुसार चुटहिल स्वामी के शरीर पर कुल 02 चोटें ठोस कुण्दायल वस्तु से आने का उल्लेख किया गया है। चुटहिल रमेश के शरीर पर चोट सं0–1 व 2 किसी धारदार हथियार (कुल्हाड़ी) की चोटें आने का उल्लेख है, उक्त अपराध धारा–324 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है। इसी प्रकार चुटहिल मंगल सिंह की एक्सरे रिपोर्ट कागज सं0–11क/1 प्रदर्श क–9 दिनांक 11.05.2007 के अनुसार चुटहिल के **Fracture patella bone of Lt. knee joint.** अंकित

है अर्थात् एक्सरे रिपोर्ट में चुटहिल मंगल सिंह को कथित घटना के दौरान आयी चोटें में उसके बांये पैर की पटेला अस्थि भंग होने का उल्लेख है, जोकि अपराध धारा–325 भा0दं0सं0 की परिधि में आता है। इस प्रकार उपरोक्त समस्त मेडिकल कथित घटना का समर्थन करती है तथा अभियोजन कथानक विश्वसनीय प्रतीत होता है।

पी0डब्लू0–4 महेश मिश्रा तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राठ (विवेचक) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 11.05.2007 को वह सी.ओ.राठ के पद पर नियुक्त था दिनांक 11.05.2007 को यह विवेचना प्राप्त हुई इसी दिनांक को नकल चिक, नकल रपट मजरूब की इन्जरी रिपोर्ट प्राप्त हुई। एक्स रे रिपोर्ट प्राप्त कर के सी.डी. किता किया। दिनांक 12.05.2007 को पर्चा नं०–।। बयान वादी मजरूबान मंगल व स्वामी निरीक्षण घटना बयान दो गवाह समई समक्ष व चार गवाह एफआईआर के साक्षी का लिया गया एक बयान मुल्लु का झूठा नाम दिया गया था। विवेचना से भगत व मुल्लु की नामजदगी गलत पायी गयी थी तथा धारा 120बी भा0दं0सं0 का लोप किया था। बयान हे०मु० थाना मझंगवा का लिया गया। पत्रावली में कागज सं०–9क नक्शा नजरी पर साक्षी ने अपने हस्ताक्षर बने होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है। पर्चा नं०–3 दिनांक 18.05.2007 अभियुक्तगण का पर्चा हाजिरी जाक से प्राप्त हुआ अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिशचन्द्र व बालादीन पुत्र हरचटिया कार्यालय के दौरान हेड का० हरीशंकर रावत आये उनका बयान अंकित किया गया था। **दिनांक 20.05.2007 पर्चा नं०–4 मजरूब मंगल व रमेश की एक्सरे रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसका अवलोकन कर सी.डी. में सलग्न किया मंगल के बायें घुटने पर फैक्चर पाया गया जिससे धारा–325 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी की गयी।** दिनांक 22.05.2007 पर्चा नं०–5 अभियुक्त मंगल सिंह पुत्र मुल्लु का बयान अंकित किया जिन्होने जुर्म से इन्कार किया तथा मुल्लु उर्फ मुलचन्द्र पुत्र खूबचन्द्र का भी बयान अंकित किया गया। दिनांक 31.05.2007 पर्चा नं०–6 बयान अभियुक्तगण चुल्ला, बालादीन, दीनदयाल व पूरन का बयान अंकित किया गया तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण का आरोप साबित होने के आधार पर आरोप पत्र सं०–24 दिनांक 31.05.2007 को न्यायालय में प्रेषित किया गया। साक्षी ने आरोप पत्र कागज सं०–3क पर बने अपने हस्ताक्षर को प्रमाणित करते हुए आरोप पत्र को प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 व आरोप पत्र प्रदर्श क–6 व सी.डी उसके लेख में नही है लेकिन उसके निर्देशन पर बोलकर तैयार की गयी है व बनाया गया, उसने उस पर हस्ताक्षर बनाये है नक्शा नजरी में उसने गवाहान लिखवाकर मुन्ना, बाबू, हरिशंकर के उपस्थित नही दिखायी है। चिक लेखक हरनारायण का उसने मुकदमा पंजीकृत होने के बाद मजरूबी चिठ्ठी लिखी थी। चिक एफआईआर के पुश्त पृष्ठ पर उसके हस्ताक्षर के बाद 12.05.

2007 की तारीख पड़ी हुई है। **दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आया था भगत प्रधान व गांव के राजेन्द्र महाराज के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश है रमेश, मंगल व स्वामी चमार राजेन्द्र के आदमी है मुल्जिमान हरिशचन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन भगत प्रधान के आदमी है। दौरान विवेचना भगत प्रधान, मुल्लु, मुल्लु पुत्र खूबचन्द्र नामजदगी झूठी पायी गयी थी व उनकी अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी भगत व इसके पिता मुल्लु के नाम जो तहरीर में लिखे गये थे वह झूठे पाये गये।** तहरीर लेखक हरीशंकर राजेन्द्र कुमार का लड़का है यह वही राजेन्द्र कुमार है जो भगत प्रधान से चुनावी रंजिश है। यह चुनावी रंजिश गवाहानों के बयानो से भी प्रदर्शित है।

पत्रावली पर दाखिल कागज सं0–9क नक्शा नजरी प्रदर्श क–5 जोकि वादी मुकदमा की निशादेही पर विवेचक द्वारा तैयार किया जाना कहा गया है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त नक्शा नजरी में संकेत 1–चिन्ह X स्थान पर मुल्जिमानों द्वारा सर्वप्रथम वादी मुकदमा रमेश लोधी के साथ गाली गलौज व जानमाल की धमकी देते हुये कुल्हाड़ी व लाठी से मारपीट करना दर्शाया गया है। 2–चिन्ह A से प्रदर्शित स्थल पर मुल्जिमानों द्वारा पहले स्वामी व मंगल के साथ मारपीट करना तथा मारपीट के दौरान मजरूब मंगल द्वारा अपने घर में घुस जाने पर मुल्जिमानों द्वारा भी मकान में घुसकर आंगन स्थित B स्थान पर पुनः मंगल के साथ मारपीट करना दर्शाया गया। 3– चिन्ह → से प्रदर्शित मार्ग से मुल्जिमानों का X स्थान पर आकर वादी मुकदमा के साथ मारपीट करने के बाद →→ चिन्ह से प्रदर्शित मार्ग से चलकर A स्थान पर आकर मजरूब स्वामी व मंगल के साथ मारपीट करने के बाद –0 –0 –0 मार्ग से वापस आना दर्शाया गया है। चूंकि पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा/चुटहिल साक्षी के द्वारा अपने बयानों में अभियुक्तगण द्वारा सर्वप्रथम उसके साथ मारपीट किये जाना तथा इसके पश्चात् चुटहिल मंगल व स्वामी के दरवाजे पर जाने तथा मारपीट करने तथा मंगल सिंह के घर में भागने पर अभियुक्तगण द्वारा मंगल के घर के अन्दर घुसकर मारपीट करने का कथन किया है। इसी प्रकार तथ्य के अन्य साक्षी पी0डब्लू0–07 चुटहिल मंगल सिंह व पी0डब्लू0–02 चुटहिल स्वामीदीन द्वारा दिये गये बयानों में अभियुक्तगण द्वारा उनके दरवाजे पर तथा मंगल सिह के घर के अन्दर आंगन में मारपीट किये जाने के तथ्य को साबित किया है, जोकि उपरोक्त नक्शा नजरी में भी दर्शित किया गया है, इस प्रकार उपरोक्त नक्शा नजरी अभियोजन कथानक के अनुरूप है, जिससे कथित घटना विश्सनीय व सुसंगत प्रतीत होती है।

उपरोक्त साक्षी पी0डब्लू0–4 जोकि मामले का विवेचक है, के द्वारा दौरान विवेचना से भगत व मुल्लु की नामजदगी गलत पाये जाने के आधार पर धारा 120बी भा0दं0सं0 का लोप किये जाने कथन किया तथा मजरूब मंगल व रमेश की एक्सरे

रिपोर्ट के अनुसार मंगल के बायें घुटने पर फैक्चर पाये जाने के आधार पर धारा–325 भा0दं0सं0 की बढ़ोत्तरी किया जाना बताया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने बयानों में यह भी स्पष्ट कथन किया गया कि दौरान विवेचना यह तथ्य सामने आया था भगत प्रधान व गांव के राजेन्द्र महाराज के बीच प्रधानी के चुनाव को लेकर रंजिश है रमेश, मंगल व स्वामी चमार राजेन्द्र के आदमी है मुल्जिमान हरिशचन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन भगत प्रधान के आदमी है। उक्त साक्षी द्वारा पत्रावली में संलग्न कागज सं०–9क नक्शा नजरी पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है तथा तमामी विवेचना के उपरान्त अभियुक्तगण का आरोप साबित होने के आधार पर आरोप पत्र कागज सं०–3क अपने हस्ताक्षर होने का कथन करते हुए प्रदर्श क–6 के रूप में साबित किया गया। इस प्रकार उक्त साक्षी उपरोक्त मामले का विवेचक तथा औपचारिक पुलिस साक्षी है, उसके द्वारा मात्र अपने बयानों से अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है, किन्तु उक्त साक्षी द्वारा दौरान विवेचना गांव में पक्षों के मध्य चुनावी रंजिश तथा गांव में पार्टीबन्दी हो का उल्लेख किया गया है।

पी0डब्लू0–5 हे0कां0 हरिनारायण (चिक लेखक) ने न्यायालय के समक्ष सशपथ मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि वह दिनांक 10.05.2007 को थाना मझंगवा में हेड मुहर्रिर के पद पर तैनात था। उस दिन उसने रमेश पुत्र मकुंदा लोधी निवासी टोला रावतपुर थाना मंझगवा जिला हमीरपुर की लिखित तहरीर के आधार पर मु०अ०सं०–151/2007 धारा–452, 323, 324, 504, 506,120 बी भा0दं0सं0 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना मझंगवा बनाम चुल्ला उर्फ हरिशचन्द्र पुत्र गोविन्ददास, बालादीन पुत्र हरचटिया काछी, दीनदयाल पुत्र चतुराढीमर, पूरन पुत्र अयोध्या चमार, भगत पुत्र मुल्लु व मुल्लु पुत्र खूबचन्द्र निवासीगण ग्राम टोला रावतपुर थाना मझंगवा जिला हमीरपुर के विरुद्ध पंजीकृत किया था। जिसका खुलासा उसने जी.डी नं०–20 समय 19 बजे दिनांक 10.05.2007 में किया था। पत्रावली में सलग्न कागज सं०–4क चिक एफआईआर व कागज सं०–7क जी.डी की कार्बन प्रति को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया। **वादी व उसके साथ उपस्थित मंगल सिंह अहिरवार पुत्र स्वामीदीन व स्वामी पुत्र तुलाराम के शरीर में चोटें थी। चोटों से खून निकल रहा था। चोटों में सूजन थी। इसलिए उनका डॉक्टरी परीक्षण कराने हेतु मजरूबी चिठ्ठी बनाकर कास्टेंबल 468 महेश चन्द्र थाना मझंगवा के साथ सी.एच.सी राठ भेजा गया था।** इसकी सूचना द्वारा आरटी सेट उच्चाधिकारियों को दी गयी थी और मामला एस.सी./एस.टी. एक्ट से सम्बन्धित था तो नकल चिक, नकल रपट विवेचना हेतु क्षेत्राधिकारी राठ को भेजी गयी थी। विवेचक ने इस सम्बन्ध में उसका बयान लिया था।

उक्त साक्षी द्वारा दौरान प्रतिपरीक्षा यह बयान दिया गया कि चिक एफआईआर में वादी के दस्तखत नही है एफआईआर की द्वितियक कापी में दस्तखत होते है। जी.डी. प्रदर्श क–8 कागज सं०–7क मूल जी.डी की कार्बन प्रति है। जी.डी. प्रदर्श–क–8 कागज सं०–7क में नकल रपट नं०–20 दिनांक 10.05.2007 समय 19:00 बजे थाना मझंगवा हाथ से लिखा गया है। यह बात सही है कि मजरूबी चिठ्ठी मुकदमा पंजीकृत होने के बाद लिखी जाती है। उसमें धारा और अ०सं० का कोई उल्लेख नही है। यह कहना गलत है कि उसने वरिष्ठ अधिकारी के प्रभाव में एंटी टाइम डालकर चिक तैयार की हो। यह कहना गलत है कि वह राजेन्द्र महाराज के प्रभाव में आकर मुल्जिमान के खिलाफ झूठी साक्ष्य संकलित कर गलत आरोप पत्र प्रेषित किया हो।

इस प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–5 उपरोक्त मामले की एफ0आई0आर0 व कायमी जी0डी0 लेखक तथा औपचारिक पुलिस साक्षी है, उक्त साक्षी ने अपने बयानों से मात्र पत्रावली में सलग्न कागज सं०–4क चिक एफआईआर व कागज सं०–7क जी.डी की कार्बन प्रति को साक्षी ने अपने लेख व हस्ताक्षर में होने की पुष्टि करते हुए प्रदर्श क–7 व प्रदर्श क–8 के रूप में साबित किया है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह तथ्य भी स्वीकार किया है कि वादी व उसके साथ उपस्थित मंगल सिंह अहिरवार पुत्र स्वामीदीन व स्वामी पुत्र तुलाराम के शरीर में चोटें थी। चोटों से खून निकल रहा था। चोटों में सूजन थी। इसलिए उनका डॉक्टरी परीक्षण कराने हेतु मजरूबी चिठ्ठी बनाकर कास्टेंबल 468 महेश चन्द्र थाना मझंगवा के साथ सी.एच.सी राठ भेजा गया था। इस प्रकार उक्त साक्षी ने भी अपने बयानों से एफ0आई0आर0 लिखाते समय चुटहिल सुरेश, मंगल सिंह व स्वामीदीन के शरीर पर चोटें होने की पुष्टि की है, जिससे अभियोजन कथानक की पुष्टि होती है।

बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण के पास घटना कारित करने के लिए कोई हेतुक (Motive) विद्यमान नहीं था। हेतुक को साबित कर पाने में अभियोजन पूर्णतया विफल रहा है, जिस कारण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन द्वारा हेतुक (Motive) के संबंध में कहा गया कि गांव के राजेंद्र महाराज व भगत लोधी में प्रधानी चुनाव को लेकर पार्टीबंदी है, वह लोग राजेंद्र महाराज की पार्टी में हैं और मुल्जिमान भगत के आदमी है, जिसके कारण आपस में बुराई व रंजिश है, उसी चुनावी रंजिश के कारण अभियुक्तगण द्वारा उपरोक्त घटना कारित की गयी है। तहरीर प्रदर्श क–1 में भी वादी मुकदमा द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन अपने हाथों में लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी लेकर आ गए और एकाएक उसी गाली–गलौज करते हुए

लाठी–डण्डा व कुल्हाड़ी से मारपीट करने लगे, **मारपीट करते समय कह रहे थे मारो साले को यह राजेन्द्र महाराज के यहां बहुत बैठता है।** साक्षी पी0डब्लू0–1 रमेश लोधी द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि **चुनाव में हरीशंकर पुत्र राजेन्द्र महाराज व भगत पुत्र मुल्लु राजपूत चुनाव में खड़े हुए थे उसने हरीशंकर का समर्थन चुनाव में किया था व इसका प्रचार भी किया था। मंगल और स्वामी ने भी हरीशंकर का प्रचार किया था भगत चुनाव में जीता था** इसी कारण भगत का विरोध करने के कारण मंगल व स्वामी से विरोध मानता था। इसी प्रकार उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में भी बयान दिया गया कि **इस चुनाव के पूर्व राजेन्द्र महाराज भगत प्रधान के खिलाफ चुनाव लड़े थे व हार गये थे राजेन्द्र महाराज भगत प्रधान से बुराई मानते है दोनों में पार्टी बन्दी है।** इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–2 मंगल सिंह द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया कि अभियुक्त बालादीन कुल्हाड़ी लिये शेष अभियुक्तगण लाठियां लिये उनके दरवाजे पर आये और **उससे कहा भोसड़ी वाले साले चमरा तुम लोग बहुत राजेन्द्र महाराज के पास जा रहे हो, बालदीन बोला मारो साले चमरो को**। उक्त साक्षी द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में कथन किया गया कि **घटना के समय भगत गांव का प्रधान था। उसके गांव के राजेन्द्र महाराज कई बार प्रधानी का चुनाव लड़ चुके है। लेकिन राजेन्द्र महाराज कभी भी प्रधानी का चुनाव नही जीते है। एक पार्टी भगत प्रधान की भी है और एक पार्टी राजेन्द्र महाराज की है। उन लोगों का राजेन्द्र महाराज के यहाँ आना जाना है इस कारण हमलोग राजेन्द्र महाराज की पार्टी के माने जाते है। इस मुकदमें के मुल्जिमान भगत प्रधान की पार्टी के है।** इसी प्रकार साक्षी पी0डब्लू0–3 स्वामीदीन द्वारा भी अपने बयानों में कहा कि अभियुक्तगण **उन लोगों को देखकर गाली–गलौज करते हुये बोले कि साले चमरा तुम लोग राजेंद्र महाराज के यहां बहुत बैठते हो इन्हीं को मारो। इस प्रकार** इस प्रकार तथ्य के उपरोक्त तीनों साक्षी पी0डब्लू0–1, पी0डब्लू0–2 व पी0डब्लू0–3 द्वारा गांव में पार्टीबन्दी होने एवं अभियुक्तगण से चुनावी रंजिश होने का बयान दिया है, जिससे साक्षीगण के बयानों के प्रकाश में चुनावी रंजिश को लेकर राजेन्द्र महाराज के यहां बैठने के विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा रमेश, मंगल सिंह व स्वामीदीन से मारपीट किये जाने का हेतुक (Motive) उभर कर सामने आता है। यद्यपि यहां यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय न्यायालय की निम्न निर्णयज विधि व्यवस्था का उल्लेख किया जाना भी आवश्यक है : –

> निर्णयज विधि **धरनीधर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (2010)7 सुप्रीम कोर्ट केसेस 759,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि हमेशा आवश्यक नहीं होता कि अभियोजन अपराध कारित करने के पीछे एक निश्चित हेतुक स्थापित करें। यह हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों

पर निर्भर करता है। यदि अन्यथा सुसंगत एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध है तो हेतुक के अभाव के कारण अभियुक्त को दोषमुक्त नहीं किया जा सकता।

परन्तु प्रस्तुत मामले में अभियोजन द्वारा अपराध का हेतुक (Motive) का मुख्य कारण राजेन्द्र महाराज के यहां बैठने को लेकर व चुनावी रंजिश आपत्ति व विवाद किया जाना बताया गया है। इस प्रकार अभियोजन द्वारा हेतुक पूर्णतया साबित किया गया है, बचाव पक्ष का उक्त तर्क बलहीन है।

बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क किया गया है कि अभियोजन की ओर से परीक्षित तथ्य के साक्षीगण के बयानों में अन्तर्विरोध, विरोधाभास, विसंगतियॉ एवं अतिरंजनाएं हैं, जिससे सम्पूर्ण मामले संदिग्ध हो जाता है, जिसका लाभ अभियुक्तगण पाने के अधिकारी हैं।

अभियोजन द्वारा बचाव पक्ष के उक्त तर्क का खण्डन किया गया। अन्तर्विरोध, विरोधाभास एवं विसंगति के सम्बन्ध में न्यायालय के द्वारा साक्षीगण के बयानों को गम्भीरता पूर्वक देखा गया। इस बिन्दु पर न्यायालय के अभिमत में साक्षीगण के बयानों में कोई तात्विक विरोध एवं असंगति नही है और न ही बचाव पक्ष द्वारा किसी विशिष्ट विरोध अथवा असंगति की ओर न्यायालय का ध्यान ही दौरान तर्क आकर्षित कराया गया है और जो अर्न्तविरोध एवं असंगति हैं उनका कोई प्रभाव साक्षीगण के साक्ष्य की गुणवत्ता पर नहीं पड़ता है। साक्षीगण की साक्ष्य में इस प्रकार की सूक्ष्म–सूक्ष्म भिन्नता पाया जाना साक्ष्य की सहजता एवं स्वाभाविकता के गुण को प्रमाणित करता है। न्यायालय के समक्ष घटना के लम्बे अन्तराल के बाद न्यायालय के समक्ष बयान दिये गये है और इस प्रकार का सूक्ष्म विरोधाभास उसके बयानों की स्वाभाविकता को ही प्रमाणित करता है। साक्षीगण के साक्ष्य में असंगति एवं विरोधाभास के सम्बन्ध में विधिक स्थिति के सम्बन्ध में विभिन्न निर्णयज् विधियों का अवलोकन किया :–

1. **रमेश हरिजन बनाम उ0प्र0राज्य ए0आई0आर0–2012, सुप्रीम कोर्ट–1979** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साक्षी के कथन में अतिरंजना, विरोधाभास आने के आधार मात्र से साक्षी के व्यान को अविश्वसनीय नही कहा जा सकता। जैसे भूसे से दाने अलग करके ग्रहण किये जाते हैं उसी प्रकार से साक्षी के कथन के विश्वसनीय अंश को ग्रहण किया जाना चाहिए।
2. **श्री नरायन शाह बनाम त्रिपुरा राज्य (2004)7, सुप्रीम कोर्ट केसस–775,** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साक्ष्य में सूक्ष्म प्रकृति की विसंगतियों का कोई परिणाम नही होता।

निर्णयज विधि **कुरिया और अन्य बनाम् राजस्थान राज्य (2013)1, सुप्रीम कोर्ट केस (क्रि0)–202,** का ससम्मान् अवलोकन किया गया। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि साक्षी के कथन में विरोधाभास, असंगततायें, अतिरंजनाएं, अलंकरण या सुधार होने के आधार पर अभियोजन पक्ष कथन पर सन्देह नही किया जा सकता जब तक कि विरोधाभास, असंगततायें, अतिरंजनाएं एवं अलंकरण अभियोजन पक्ष कथन को तात्विक रूप से प्रभावित न करते हों। प्रस्तुत प्रकरण में साक्षी के बयानों में इस स्तर का विरोधाभास नहीं है, जिससे अभियोजन कथानक पर अविश्वास किया जा सके। जबकि तथ्य के साक्षीगण पी0डब्लू0–01 रमेश लोधी, पी0डब्लू0–02 स्वामीदीन व पी0डब्लू0–07 मंगल सिंह द्वारा अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक को साबित किया है। ऐसे में बचाव पक्ष के इंगित इस तर्क में, कि साक्षीगण के बयानों में विरोधाभास, असंगति एवं अतिरंजनाएं हैं, कोई बल नहीं है।

बचाव पक्ष के द्वारा एक तर्क यह भी दिया गया कि उपरोक्त मामले में विवेचक द्वारा घटना में अभियुक्तगण द्वारा प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी तथा चुटहिलों के कपड़े व घटनास्थल से खूनालूद व सादा मिट्टी के नमूने बरामद नहीं किये गये, जिससे विवेचक द्वारा की गयी विवेचना दोषपूर्ण प्रतीत होती है, जिससे सम्पूर्ण कथानक संदेहास्पद हो जाता है और संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना चाहिए।

अभियोजन पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि अभियोजन की ओर से उपरोक्त घटना के चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षीगण द्वारा अपने ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक युक्ता–युक्त संदेह से परे साबित किया गया है एवं चुटहिलों को उपरोक्त घटना में आयी चोटों की पुष्टि साक्षीगण पी0डब्लू0–3 चिकित्सक व पी0डब्लू0–6 एक्सरेकर्ता के बयानों से तथा चुटहिलों की मेडिकल रिपोर्ट प्रदर्श क–2 लगायत प्रदर्श क–4 से हो रही है, ऐसी परिस्थितियों में यदि विवेचक के द्वारा चुटहिलों के खून से सने कपड़े या अभियुक्तगण के कब्जे से उक्त घटना में प्रयुक्त लाठी व कुल्हाड़ी को बरामद नहीं किया जाता है तो इससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं होगा। उपरोक्त के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्था **ओम पाल एवं अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य (2025) 10 एससी सी0के0 0073** का ससम्मान अवलोकन किया, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि अभियोजन की ओर से अभियोजन कथानक को ठोस एवं विश्वसनीय साक्ष्य से पुष्ट किया जाता है तथा चुटहिल को आयी चोटों की पुष्टि मेडिकल रिपोर्ट से भी हो रही है तो विवेचक के द्वारा उक्त घटना में प्रयुक्त हथियारों के बरामद न करने मात्र से अभियोजन कथानक अविश्वसनीय नहीं होगा।

इसी प्रकार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था **ननकोनू बनाम राज्य उ0प्र0 ए0आई0आर0 2016 एससी 614** में भी यह प्राविधानित किया गया कि घटना में प्रयुक्त हथियार बरामद न होना अभियोजन कथानक को प्रभावित नहीं करते हैं। जबकि प्रस्तुत मामले में अभियोजन की ओर से चुटहिल व चक्षुदर्शी साक्षीगण के द्वारा घटना स्वयं अपनी आंखों से देखने जाने का ठोस व विश्वसनीय साक्ष्य दिया है, ऐसे में यदि विवेचक के द्वारा लाठी व कुल्हाड़ी बरामद तथा घटनास्थल से खूनालूद मिट्टी व सादा मिट्टी एकत्र करने में तथा चुटहिलों के खून से सने कपड़ों को कब्जे में लेने में लापरवाही बरती हो तो इसका कोई विपरीत प्रभाव अभियोजन कथानक पर नहीं पड़ता है। इस प्रकार बचाव पक्ष का उक्त तर्क बलहीन हो जाता है।

इस प्रकार उपरोक्त साक्षीगण के बयानों व अभियोजन प्रपत्रों के विश्लेषण उपरांत यह साबित होता है कि अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को, उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया है।

अतः निर्णायक बिन्दु सं0–2 तद्नुसार निस्तारित किया जाता है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक तथा अभिलेखीय साक्ष्य की विस्तारपूर्वक विश्लेषण किये जाने के उपरान्त न्यायालय का यह मत है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतया सफल रहा है। इस प्रकार उपरोक्त के मामले में अभियुक्तगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल अपराध अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में तथा अभियुक्त पूरन अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध में दोषसिद्ध किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

विशेष वाद सं0–52/2009 राज्य बनाम चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र व 03 अन्य, मु0अ0सं0–151/2007 थाना मझगवां जिला हमीरपुर के मामले में अभियुक्तगण **चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल** को अपराध अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में तथा **अभियुक्त पूरन** को अन्तर्गत धारा–452, 325/34, 324/34, 323/34, 504, 506(2) भा0दं0सं0 के दण्डनीय अपराध में दोषी पाते हुये दोषसिद्ध किया जाता है।

उपरोक्त मामले में अभियुक्तगण जमानत पर है। अभियुक्तगण के बंध–पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा जामिनदारों को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता हैं।

अभियुक्तगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पत्रावली दिनांक 18.03.2026 को पेश हो।

दिनांक 17.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 17.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

UPHM010000782009

न्यायालय विशेष न्यायाधीश(एससी/एसटी) एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, हमीरपुर।
विशेष वाद संख्या–52/2009
राज्य बनाम चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र व 03 अन्य

18.03.2026

पत्रावली आज दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु पेश हुई। दोषसिद्धगण उपरोक्त न्यायिक अभिरक्षा में न्यायालय में उपस्थित है।

विशेष लोक अभियोजक एवं दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल के विद्वान अधिवक्ता श्री निशेंद्र सिंह एड0 व पूरन के विद्वान अधिवक्ता श्री सौरभ मिश्रा को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया।

विशेष लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोषसिद्धगण द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे शाम ग्राम टोला रावत थाना मझगवां जिला हमीरपुर में अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश पुत्र मुकन्दा को, उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, वादी रमेश को कुल्हाड़ी जैसे धारदार हथियार से तथा मंगल सिंह के बांये घुटने की पटेला अस्थि भंग करके घोर उपहति कारित करते हुए गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी गयी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध किया है। दोषसिद्धगण द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। दोषसिद्धगण को अधिकतम् दण्ड से दण्डित किए जाने की प्रार्थना की।

दोषसिद्धगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि दोषसिद्धगण का यह प्रथम अपराध है। दोषसिद्धगण गरीब व मजदूर पेशा तथा परिवार के एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति हैं तथा परिवार की सम्पूर्ण जिम्मेदारी उन पर है। दोषसिद्धगण की आर्थिक स्थिति एवं उनकी अवस्था को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम सजा से दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

यह स्थापित सिद्धान्त है कि दण्ड के प्रश्न पर विचार करते समय न्यायालय को समुचित दण्ड अधिरोपित करना चाहिए जिससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सके और पीड़ित पक्ष को क्षतिपूर्ति भी हो सके। इसलिए न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह

अपराध की प्रकृति, ढंग और जिन परिस्थितियों में ऐसा अपराध कारित किया गया हो, ध्यान में रखते हुए समुचित दण्ड प्रदान करे। क्योंकि दण्ड के तहत मात्र दोषसिद्धगण को सजा देने तक न होकर इसका प्रभाव समाज पर भी परिलक्षित करना भी है। अतः अपराध की प्रकृति, उसकी गंभीरता, अभियुक्त की अवस्था तथा उनकी आर्थिक एवं पारिवारिक पृष्ठभूमि और दोषसिद्धगण द्वारा अपराध कारित करने में प्रयुक्त की गयी सामग्री एवं उसके तरीके और मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर समग्र रूप से विचार करने के उपरान्त दण्ड प्रदान करना चाहिए। दोषसिद्धगण द्वारा दिनांक 10.05.2007 को समय 04:30 बजे अपने सामान्य आशय के अग्रसारण में अनुसूचित जाति के वादी मुकदमा रमेश को, उसके तुरन्त बाद मंगल सिंह व उसके पिता स्वामीदीन को उसके घर के दरवाजे के सामने एवं घर के अन्दर घुसकर कुल्हाड़ी व लाठी–डण्डों से मारपीट करते हुए, गाली गलौज व जान से मारने की धमकी दी तथा चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल द्वारा वादी मुकदमा व अन्य चुटहिल को सार्वजनिक स्थान पर जातिसूचक शब्द 'साले चमार' का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया है, जिसे अभियोजन द्वारा अपने साक्ष्य से संदेह से परे साबित किया गया है।

अतः पत्रावली के सम्यक परिशीलन एवं प्रकरण के तथ्यों व परिस्थितियों एवं दोषसिद्धगण द्वारा किये गये उपरोक्त अपराध को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाना न्यायोचित होगा तथा इससे न्याय के उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी।

<u>दण्डादेश</u>

विशेष वाद सं0–52/2009 राज्य बनाम चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र व 03 अन्य, मु0अ0सं0–151/2007, थाना मझगवां जिला हमीरपुर के मामले में दोषसिद्धगण **चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन** को **धारा–452 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 05 वर्ष (पांच वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 5,000/–रूपए (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह (पांच माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को **धारा–325/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 05 वर्ष (पांच वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 5,000/–रूपए (पांच हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 05 माह (पांच माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को **धारा–324/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 03 वर्ष (तीन वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 3,000/–रूपए (तीन हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 03 माह (एक माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को **धारा–323/34 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 01 वर्ष (एक वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 1,000/–रूपए (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 01 माह (एक माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को **धारा–504 भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02 वर्ष (दो वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 2,000/–रूपए (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह (दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन, दीनदयाल व पूरन को **धारा–506(2) भारतीय दण्ड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 02 वर्ष (दो वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 2,000/–रूपए (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 02 माह (दो माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

दोषसिद्धगण **चुल्ला उर्फ हरिश्चन्द्र, बालादीन व दीनदयाल** को **धारा–3(1)10 एससी/एसटी एक्ट** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप में प्रत्येक दोषसिद्ध को 04 वर्ष (चार वर्ष) का सश्रम कारावास और मु0 4,000/–रूपए (चार हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा अर्थदण्ड अदा न करने पर 04 माह (चार माह) के अतिरिक्त साधारण कारावास के दण्ड से दण्डित किया जाता है।

समस्त सजाएं एक साथ चलेंगी। दोषसिद्धगण द्वारा जेल में बितायी गई अवधि उक्त सजा में समायोजित की जाती है।

दोषसिद्धगण का सजायावी वारंट बनाकर उसे उपरोक्त शास्ति भुगतने हेतु जिला कारागार, हमीरपुर भेजा जाए।

दोषसिद्धगण द्वारा क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 30,000/–रूपये की धनराशि चुटहिलों को देय होगी। उपरोक्त क्षतिपूर्ति धनराशि मियाद अपील बाद देय होगी।

उपरोक्त आदेश की एक प्रति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हमीरपुर को इस आशय से भेजी कि उपरोक्त से संबंधित योजनाओं का लाभ पीड़ित पक्ष को प्रदान कराया जाए।

दोषसिद्धगण को निर्णय की एक–एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जाए।

इस निर्णय की एक प्रति जिलाधिकारी, हमीरपुर को धारा–365 द0प्र0सं0 के अनुपालन में नियमानुसार सूचनार्थ प्रेषित की जाये।

दिनांक 18.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459

यह निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक 18.03.2026

(रनवीर सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) एक्ट, हमीरपुर।
आई0डी0–यू0पी0 6459